सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE** **Extraordinary**
	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	माघ 30, बुधवार, *शाके* 1941–फरवरी 19, 2020 *Magha 30, Wednesday, Saka 1941–February 19, 2020*	

भाग-3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 19, 2020

एफ. 13(8)विशा/विस/2020 :-राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 जैसा कि दिनांक 19 फरवरी, 2020 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

2020 का विधेयक **सं. 8**

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020
(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया)

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 16 का संशोधन.- राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं. 15), जिसे इस अधिनियम में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 16 में,-

(i) उप-धारा (3) में विद्यमान अभिव्यक्ति "400/- रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "800/- रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) उप-धारा (5) में,-

(क) खण्ड (i) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "300/-रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "500/- रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) खण्ड (ii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "750/-रु." क़े स्थान पर अभिव्यक्ति "1,500/- रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ग) खण्ड (iii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "1,250/-रु." क़े स्थान पर अभिव्यक्ति "2,500/- रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) उप-धारा (5) के प्रथम परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "17,500/-रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "30,000/- रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) उप-धारा (5) के तृतीय परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "उस तारीख से जिसको अभिदान देय हो जाता है, बकाया की रकम पर 1.50 रु. प्रति सौ प्रतिमास की दर से" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अभिदान के शोध्य होने की तारीख से तीन मास के पश्चात्, बकाया की रकम पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(v) उप-धारा (7) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "1.50 रुपये प्रति सौ प्रति महीने" के स्थान पर अभिव्यक्ति "7 प्रतिशत प्रतिवर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 17 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के द्वितीय परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "दो लाख पचास हजार रु." क़े स्थान पर अभिव्यक्ति "आठ लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 19 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "पच्चीस रु." क़े स्थान पर अभिव्यक्ति "पचास रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 20 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "पच्चीस रु." क़े स्थान पर अभिव्यक्ति "पचास रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 25 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 25 में,-

(i) उप-धारा (2) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "40,000/- रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "1,00,000/- रुपये" और विद्यमान अभिव्यक्ति "1,00,000/-रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "3,00,000/- रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) प्रथम परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीन वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धारा (3) जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(3) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन तीन वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर कोई भी आवेदन प्राप्त होने की दशा में, न्यासी समिति द्वारा उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन इस प्रकार अनुज्ञात किया गया अनुदान मंजूर की गयी रकम में से घटाया जायेगा।"।

7. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"अनुसूची

(धारा 17 देखिए)

5 वर्ष की सदस्यता	50,000/- रुपये
6 वर्ष की सदस्यता	60,000/- रुपये
7 वर्ष की सदस्यता	70,000/- रुपये
8 वर्ष की सदस्यता	80,000/- रुपये
9 वर्ष की सदस्यता	90,000/- रुपये
10 वर्ष की सदस्यता	1,08,000/- रुपये
11 वर्ष की सदस्यता	1,26,000/- रुपये
12 वर्ष की सदस्यता	1,44,000/- रुपये
13 वर्ष की सदस्यता	1,62,000/- रुपये
14 वर्ष की सदस्यता	1,80,000/- रुपये
15 वर्ष की सदस्यता	1,98,000/- रुपये
16 वर्ष की सदस्यता	2,20,000/- रुपये
17 वर्ष की सदस्यता	2,42,000/- रुपये
18 वर्ष की सदस्यता	2,64,000/- रुपये
19 वर्ष की सदस्यता	2,86,000/- रुपये
20 वर्ष की सदस्यता	3,08,000/- रुपये
21 वर्ष की सदस्यता	3,43,000/- रुपये
22 वर्ष की सदस्यता	3,78,000/- रुपये
23 वर्ष की सदस्यता	4,13,000/- रुपये
24 वर्ष की सदस्यता	4,48,000/- रुपये
25 वर्ष की सदस्यता	4,83,000/- रुपये
26 वर्ष की सदस्यता	5,33,000/- रुपये
27 वर्ष की सदस्यता	5,83,000/- रुपये
28 वर्ष की सदस्यता	6,33,000/- रुपये
29 वर्ष की सदस्यता	6,83,000/- रुपये
30 वर्ष की सदस्यता	7,33,000/- रुपये
31 वर्ष की सदस्यता	8,03,000/- रुपये
32 वर्ष की सदस्यता	8,73,000/- रुपये
33 वर्ष की सदस्यता	9,43,000/- रुपये
34 वर्ष की सदस्यता	10,13,000/- रुपये
35 वर्ष की सदस्यता	10,83,000/- रुपये

36 वर्ष की सदस्यता	11,68,000/- रुपये
37 वर्ष की सदस्यता	12,53,000/- रुपये
38 वर्ष की सदस्यता	13,38,000/- रुपये
39 वर्ष की सदस्यता	14,23,000/- रुपये
40 वर्ष की सदस्यता	15,00,000/- रुपये

"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य में अधिवक्ताओं की व्यापक मांग है कि अस्पताल में इलाज के बढ़ते व्यय और देश की अर्थव्यवस्था में वर्तमान वृद्धि की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987 के विभिन्न उपबंधों के अधीन संदत्त की जा रही रकम पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है।

राजस्थान बार काउन्सिल ने यह महसूस किया है कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987 में पूर्व में वर्ष 2012 में संशोधन किये गये थे और तब से सात वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् बाजार में समस्त वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है और सभी प्रकार के चिकित्सीय उपचार मंहगे हो गये हैं इसलिए वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित संशोधन उचित हैं।

धारा 16 की विद्यमान उप-धारा (3) निधि की सदस्यता के लिए एकमुश्त 400/- रुपये की प्रवेश फीस के लिए उपबंध करती है। इसी प्रकार, धारा 16 की विद्यमान उप-धारा (5) निधि के वार्षिक अभिदान के लिए उपबंध करती है। निधि से सदस्य को किये जाने वाले संदाय को देखते हुए विद्यमान फीस और वार्षिक अभिदान अत्यल्प प्रतीत होता है। तदनुसार, धारा 16 की उप-धारा (3) और (5) संशोधित की जानी प्रस्तावित हैं।

धारा 17 की उप-धारा (1) का द्वितीय परन्तुक किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में निधि से संदेय राशि के लिए उपबंध करता है। राजस्थान बार काउन्सिल द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि इस वित्तीय सहायता को दो लाख पचास हजार रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये किया जाये। इसी प्रकार, अस्पताल में भर्ती होने पर या किसी गंभीर शल्य क्रिया के मामले में किसी सदस्य को धारा 25 के अधीन अनुग्रह अनुदान 40,000/- रुपये से बढ़ाकर 1,00,000/- रुपये किया जाना और गंभीर बीमारी की दशा में 1,00,000/- रुपये से बढ़ाकर 3,00,000/- रुपये किया जाना विनिश्चित किया गया है। तदनुसार, धारा 17 और 25 संशोधित की जानी प्रस्तावित हैं।

चूंकि, राज्य सरकार द्वारा कोई विनियोग नहीं किया गया है इसलिए निधि के लिए अभिदाय का मुख्य स्रोत कल्याण निधि फीस स्टाम्पों का विक्रय है। अत्यावश्यकता की दशा में सदस्य को किये जाने वाले विभिन्न संदायों को पूरा करने के लिए प्रत्येक वकालतनामें पर लगाये जाने वाले स्टाम्पों का मूल्य बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है। तदनुसार, धारा 19 और 20 संशोधित की जानी प्रस्तावित हैं।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

शान्ती कुमार धारीवाल,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

Bill No. 8 of 2020

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN ADVOCATES WELFARE FUND (AMENDMENT) BILL, 2020

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Advocates Welfare Fund Act, 1987.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-First Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Advocates Welfare Fund (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 15 of 1987.- In section 16 of the Rajasthan Advocates Welfare Fund Act, 1987 (Act No. 15 of 1987), hereinafter in this Act referred to as the principal Act,-

(i) in sub-section (3), for the existing expression "Rs. 400/-", the expression "Rs. 800/-" shall be substituted;

(ii) in sub-section 5,-

(a) in clause (i), for the existing expression "Rs. 300/-", the expression "Rs. 500/-" shall be substituted;
(b) in clause (ii), for the existing expression "Rs. 750/-", the expression "Rs. 1500/-" shall be substituted; and
(c) in clause (iii), for the existing expression "Rs. 1250/-", the expression "Rs. 2500/-" shall be substituted;

(iii) in first proviso to sub-section (5), for the existing expression "Rs. 17,500/-", the expression "Rs. 30,000/-" shall be substituted;

(iv) in third proviso to sub-section (5),for the existing expression "Rs.1.50 per hundred per month from the date on which subscription becomes due.", the expression "7% per annum after three months from the date subscription becomes due." shall be substituted; and

(v) in sub-section (7), for the existing expression "1.50 rupees per hundred per month", the expression "7% per annum" shall be substituted.

3. Amendment in section 17, Rajasthan Act No. 15 of 1987.- In second proviso to sub-section (1) of section 17 of the principal Act, for the existing expression "rupees two lac fifty thousand", the expression "rupees eight lac" shall be substituted.

4. Amendment of section 19, Rajasthan Act No. 15 of 1987.- In sub-section (1) of section 19 of the principal Act, for the existing expression "twenty five rupees", the expression "fifty rupees" shall be substituted.

5. Amendment of section 20, Rajasthan Act No. 15 of 1987.- In sub-section (1) of section 20 of the principal Act, for the existing expression "rupees twenty five", the expression "rupees fifty" shall be substituted;

6. Amendment of section 25, Rajasthan Act No. 15 of 1987.-In section 25 of the principal Act,-

(i) in sub-section (2),-

(a) for the existing expression "Rs. 40,000/-",the expression "Rs. 1,00,000/-" and for the existing expression "Rs. 1,00,000/-", the expression "Rs. 3,00,000/-" shall be substituted; and

(b) in first proviso, for the existing expression "five years", the expression "three years" shall be substituted; and

(ii) after sub-section (2) so amended, the following new sub-section (3) shall be added, namely:-

"(3) In case any application is received under clause (b) of sub-section (1) within a period of three years, the grant so allowed by the Trustee Committee under clause (a) of sub-section (1) shall be reduced from the sanctioned amount.".

7. Amendment of Schedule, Rajasthan Act No. 15 of 1987.- For the existing Schedule to the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"Schedule

(See section 17)

5 years membership	Rs.50,000/-
6 years membership	Rs.60,000/-
7 years membership	Rs.70,000/-
8 years membership	Rs.80,000/-
9 years membership	Rs.90,000/-
10 years membership	Rs.1,08,000/-
11 years membership	Rs.1,26,000/-
12 years membership	Rs.1,44,000/-
13 years membership	Rs.1,62,000/-
14 years membership	Rs.1,80,000/-
15 years membership	Rs.1,98,000/-
16 years membership	Rs.2,20,000/-
17 years membership	Rs.2,42,000/-
18 years membership	Rs.2,64,000/-
19 years membership	Rs.2,86,000/-
20 years membership	Rs.3,08,000/-
21 years membership	Rs.3,43,000/-
22 years membership	Rs.3,78,000/-
23 years membership	Rs.4,13,000/-
24 years membership	Rs.4,48,000/-
25 years membership	Rs.4,83,000/-

26 years membership	Rs.5,33,000/-
27 years membership	Rs.5,83,000/-
28 years membership	Rs.6,33,000/-
29 years membership	Rs.6,83,000/-
30 years membership	Rs.7,33,000/-
31 years membership	Rs.8,03,000/-
32 years membership	Rs.8,73,000/-
33 years membership	Rs.9,43,000/-
34 years membership	Rs.10,13,000/-
35 years membership	Rs.10,83,000/-
36 years membership	Rs.11,68,000/-
37 years membership	Rs.12,53,000/-
38 years membership	Rs.13,38,000/-
39 years membership	Rs.14,23,000/-
40 years membership	Rs.15,00,000/-

".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There is a wide spread demand by the Advocates in the State that the amount being paid under various provisions of the Rajasthan Advocates Welfare Fund Act, 1987 needs to be reconsidered keeping in view the increasing expenditure of treatment in the hospital and present rising trend in the economy of the Country.

The Bar Council of Rajasthan feels that previously the amendments were made in the Rajasthan Advocates Welfare Fund Act, 1987 in the year 2012 and after a lapse of seven years since then, prices of all commodities have increased in the market and all sorts of medical treatments have become costly therefore, the proposed amendments are justified in view of the present circumstances.

The existing sub-section (3) of section 16 provides for an admission fee of Rs. 400/- in lump-sum for membership in the Fund. Similarly, existing sub-section (5) of section 16 provides for an annual subscription to the Fund. Looking to the payment to be made to the member from the Fund the existing fee and annual subscription seems to be meagre. Accordingly, sub-sections (3) and (5) of section 16 are proposed to be amended.

Second proviso to sub-section (1) of section 17 provides for sum payable from the Fund in the event of death of a member. It has been decided by the Bar Council of Rajasthan to increase this financial assistance from Rupees two lac fifty thousand to Rupees seven lac. Similarly, Ex-gratia grant to a member under section 25 in case of hospitalization or major surgical operation has been decided to be raised from Rs. 40,000/- to Rs. 1,00,000/- and in case of serious ailment from Rs. 1,00,000/- to Rs. 3,00,000/-. Accordingly, sections 17 and 25 are proposed to be amended.

Since no appropriation has made by the State Government, the main source of contribution to the Fund is sale of Welfare Fund Fees Stamps. It has become essential to increase the value of Stamps to be affixed on every Vakalatnama to meet out the various payments to be made to the member in case of exigencies. Accordingly, sections 19 and 20 are proposed to be amended.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence, the Bill.

शान्ती कुमार धारीवाल,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Advocates Welfare Fund Act, 1987.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil kumar Mathur,
Secretary.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर